



डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्बद्धन/332/12

दिनांक: 30/3/12

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक,
सिन्धीजिया गर्ल्स कॉलेज,
महाराणी बाग, बोदला, आगरा।

महोदय,

अनुसंधान, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्बद्धन-131/सातर-2-2011-2(32)/2010 लखनऊ दिनांक 07 जुलाई, 2011 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2007) की धारा 37(2) के अधीन आपके महाविद्यालय को स्वयंसेवक योगदानात्मक स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बीएड पाठ्यक्रम में (100 सीट) में शैक्षिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2011-12 हेतु संबद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है तथा परीक्षाफल घोषित हो जाने पर सत्र 2011-12 से संबद्धता को (स्वयंसेवक) की पूर्वानुमति मानते हुये उक्त पत्र में उल्लिखित चार शर्तों के अधीन 100 सीटों की प्रवेश समता के साथ स्वयंसेवकता प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में संबद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रवन्धन शासन के उक्त पत्र दिनांक 07 जुलाई, 2011 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निरन्तर पूर्ण करे:

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सातर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिश निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त शर्तों को तुरन्त एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं अनुमति के माध्यम से आवंटित अर्जियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी संबद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

यदि प्रवन्धन शासन के उक्त वर्णित पत्र में द्वांगत कर्मियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो तुरन्त प्रवन्धनों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई संबद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आपका

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)

भवदीय,

Arundhan
30/3/12
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)

प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1-सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
- 2-निजी सचिव कुलपति।
- 3-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा महानगर, जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा।
- 4-अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)